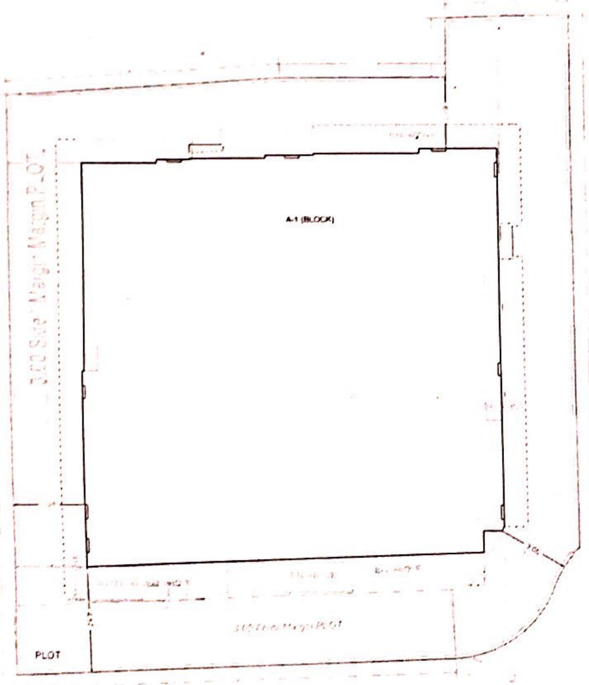

12.19 M WIDE MAIN ROAD

LAYOUT PLAN

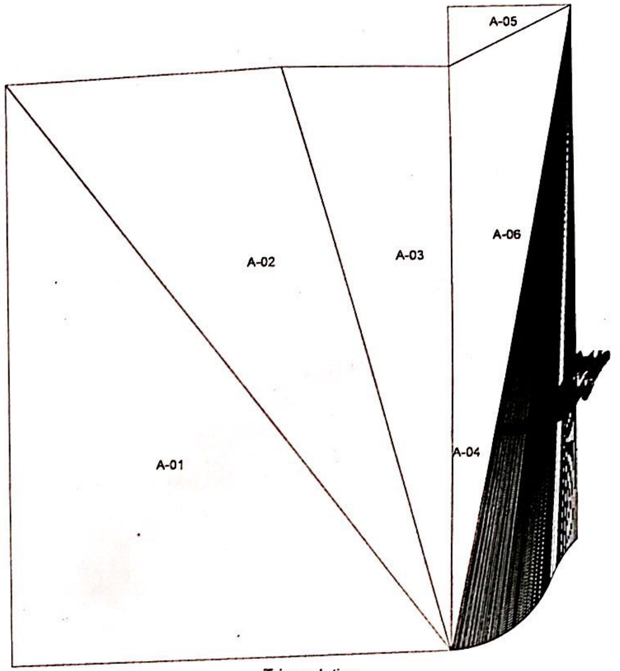

Triangulation

Triangle	Area						
A-01	232.16	A-38	0.57	A-76	0.42	A-114	0.22
A-02	147.21	A-39	0.57	A-77	0.41	A-115	0.21
A-03	87.47	A-40	0.57	A-78	0.41	A-116	0.21
A-04	0.60	A-41	0.56	A-79	0.40	A-117	0.20
A-05	6.71	A-42	0.56	A-80	0.40	A-118	1.04
A-06	54.79	A-43	0.56	A-81	0.39	A-119	1.58
A-07	0.65	A-44	0.55	A-82	0.39	A-120	0.25
A-08	0.65	A-45	0.55	A-83	0.38	A-121	0.26
A-09	0.65	A-46	0.54	A-84	0.38	A-122	0.26
A-10	0.65	A-47	0.54	A-85	0.37	A-123	0.27
A-11	0.64	A-48	0.54	A-86	0.37	A-124	0.27
A-12	0.64	A-49	0.53	A-87	0.36	A-125	0.28
A-13	0.64	A-50	0.53	A-88	0.36	A-126	0.28
A-14	0.64	A-51	0.53	A-89	0.35	A-127	0.29
A-15	0.64	A-52	0.52	A-90	0.35	A-128	0.29
A-16	0.63	A-53	0.52	A-91	0.34	A-129	0.30
A-17	0.63	A-54	0.51	A-92	0.34	A-130	0.30
A-18	0.63	A-55	0.51	A-93	0.33	A-131	0.31
A-19	0.63	A-56	0.51	A-94	0.33	A-132	0.31
A-20	0.62	A-57	0.50	A-95	0.32	A-133	0.32
A-21	0.62	A-58	0.50	A-96	0.32	A-134	0.33
A-22	0.62	A-59	0.49	A-97	0.31	A-135	0.33
A-23	0.62	A-60	0.49	A-98	0.31	A-136	0.34
A-24	0.61	A-61	0.49	A-99	0.30	A-137	0.34
A-25	0.61	A-62	0.48	A-100	0.30	A-138	0.35
A-26	0.61	A-63	0.48	A-101	0.29	A-139	0.35
A-27	0.61	A-64	0.47	A-102	0.29	A-140	0.36
A-28	0.60	A-65	0.47	A-103	0.28	A-141	0.36
A-29	0.60	A-66	0.46	A-104	0.27	A-142	0.36
A-30	0.60	A-67	0.46	A-105	0.27	A-143	0.37
A-31	0.59	A-68	0.45	A-106	0.26	A-144	0.37
A-32	0.59	A-69	0.45	A-107	0.26	A-145	0.38
A-33	0.59	A-70	0.45	A-108	0.25	A-146	0.38
A-34	0.59	A-71	0.44	A-109	0.25	A-147	0.39
A-35	0.58	A-72	0.44	A-110	0.24	A-148	0.39
A-36	0.58	A-73	0.43	A-111	0.24	A-149	0.40
A-37	0.58	A-74	0.43	A-112	0.23	A-150	0.40
		A-75	0.42	A-113	0.23	Total (PLOT)	603.14

BUILDING WISE FSI STATEMENT

BUILDING	FSI AREA				BALCONY	PASSAGE	STAIR	LIFT	TERRACE	TENE.	TOTAL
	COMM.	RESI.	IND.	INST.	PROP.						FSI AREA
A-1 (BLOCK)	0.00	1504.09	0.00	0.00	290.31	21.52	61.08	16.75	000.00	16	1504.09
Total	0.00	1504.09	0.00	0.00	290.31	21.52	61.08	16.75	000.00	16	1504.09

STAMP OF APPROVAL | 0

Signature valid
Digitally Signed by ABU SUFIYAN CHAUHAN
Designation: DS
Date: 2019.07.22 17:36:14 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

A) AREA STATEMENT	SQ.M.
1. AREA OF PLOT	603.12
(a) AREA SURRENDER UNDER ROAD	000.00
(b) OTHER	000.00
TOTAL (a+b+c+d)	0.00
2. STANDARD B.A.R.	1206.6800
3. STANDARD BAR AREA	000.00
5. Add TDR AREA 00	0.00
6. Add ROAD SURRENDERED AREA	000.00
7. TOTAL STANDARD BUA (Without Betterment Levy)	727772.84
8. PROPOSED RESIDENTIAL AREA	1504.09
9. PROPOSED COMMERCIAL AREA	0.00
10. PROPOSED INDUSTRIAL AREA	0.00
11. PROPOSED SPECIAL FSI AREA	0.00
12. SUBSTRUCTURES/PROJECTIONS/LIFT ADDED IN BUA	8.49
13. NET BUA (TOTAL 8+12)	1512.58
14. Consumed BAR (Factor)	2.01

OWNER'S NAME: SURAJ SHARMA | OWNER'S SIGN

PROJECT:
SURVEY NO
HISSA NO | CTS NO
PLOT NO | SOC. NAME
FINAL PLOT NO | PETH

ARCHITECT: SHRI KRISHAN | ARCHITECT'S SIGN

JOB NO.	DRG.NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY
		1:100		

INWARD NO	JDA/2019-20/BPAS/27		
DATE	21-06-2019	SHEET NO.	1/4

Scanned with CamScanner

BUILDING: A (BLOCK)

STAMP OF APPROVAL

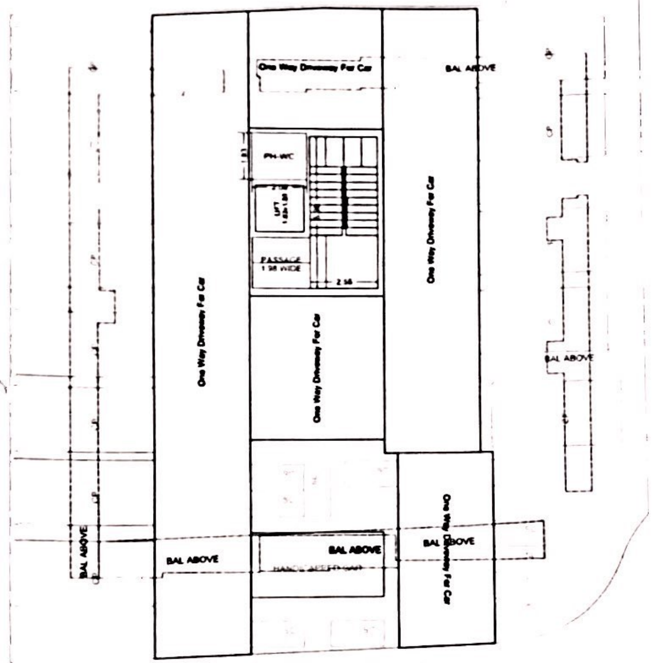

STILT FLOOR PLAN

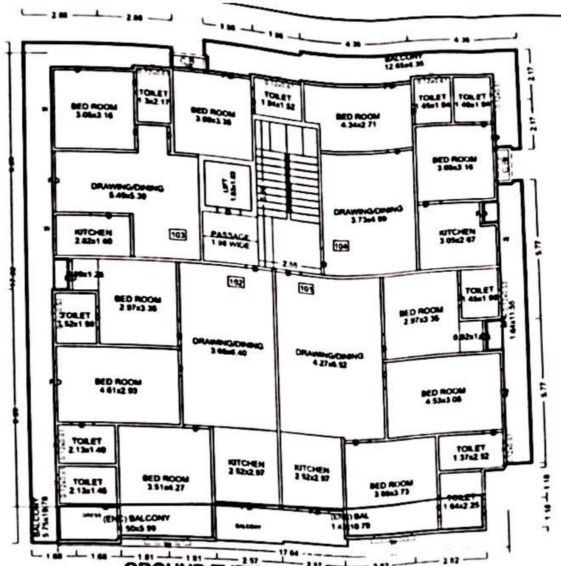

GROUND,TYPICAL - 1- 3 FLOOR PLAN

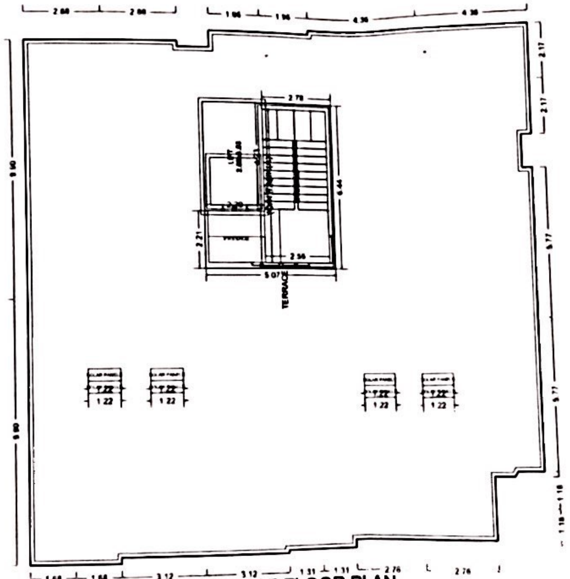

TERRACE FLOOR PLAN

GROUND TYPICAL - 1- 3 FLOOR PLAN

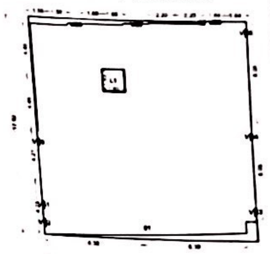

Polygon	Area
A-Block	316.04
01	0.72
02	0.73
L1	3.34
VS1	0.07
VS2	0.07
VS3	0.07
VS4	0.06
VS5	0.07
VS6	0.07
VS7	0.07
VS8	0.07
VS9	0.06
Total	289.03

BALCONY CALCULATIONS: A (BLOCK)

FLOOR	SIZE	AREA	TOT. AREA
THIRD FLOOR	5.75 X 10.70 X 1	25.83	72.90
	1.04 X 11.55 X 1	12.74	
	4.35 X 12.65 X 1	17.72	
	1.50 X 5.50 X 1	8.40	
	1.43 X 10.70 X 1	8.10	
SECOND FLOOR	5.75 X 10.70 X 1	25.83	72.90
	1.04 X 11.55 X 1	12.74	
	4.35 X 12.65 X 1	17.72	
	1.50 X 5.50 X 1	8.40	
	1.43 X 10.70 X 1	8.10	
FIRST FLOOR	5.75 X 10.70 X 1	25.83	72.90
	1.04 X 11.55 X 1	12.74	
	4.35 X 12.65 X 1	17.72	
	1.50 X 5.50 X 1	8.40	
	1.43 X 10.70 X 1	8.10	
GROUND FLOOR	5.75 X 10.70 X 1	25.83	72.90
	1.04 X 11.55 X 1	12.74	
	4.35 X 12.65 X 1	17.72	
	1.50 X 5.50 X 1	8.40	
	1.43 X 10.70 X 1	8.10	
Total	-	-	290.31

OPENING SCHEDULE: A (BLOCK)

NAME	WIDTH	HEIGHT	NOS.
D	L	2.10	12
D	L	2.10	20
D	L	2.10	08
F.D.	L	2.10	04
D	L	2.10	40
D	L	2.10	12
F.D.	L	2.10	04
F.D.	L	2.10	04
F.D.	L	2.10	08
D	L	2.10	08
F.D.	L	2.10	04
F.D.	L	2.10	08
D	L	2.10	04
F.D.	L	2.10	04

OPENING SCHEDULE: A (BLOCK)

NAME	WIDTH	HEIGHT	NOS.
W	L	1.20	04
W	L	1.20	04
W	L	1.20	12

FLOOR WISE FSI STATEMENT: A (BLOCK)

FLOORS	FSI AREA				BALCONY	PASSAGE	STAIR	LIFT	TERRACE	TENE.	TOTAL
	COMM.	RESI.	IND.	INST.	PROP.						FSI AREA
TERRACE FLOOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000.00	0	0.00
THIRD FLOOR	0.00	372.21	0.00	0.00	72.98	4.30	16.27	3.36	000.00	4	372.21
SECOND FLOOR	0.00	372.21	0.00	0.00	72.98	4.30	16.27	3.36	000.00	4	372.21
FIRST FLOOR	0.00	372.21	0.00	0.00	72.98	4.30	16.27	3.36	000.00	4	372.21
GROUND FLOOR	0.00	372.21	0.00	0.00	72.98	4.30	16.27	3.36	000.00	4	372.21
STILT FLOOR	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	3.36	000.00	0	15.27
Total	0.00	1504.09	0.00	0.00	290.31	21.02	61.08	16.75	000.00	16	1504.09

OWNER'S NAME: SURAJ SHARMA

OWNER'S SIGN

PROJECT:
SURVEY NO
NISSA NO
PLOT NO
FINAL PLOT NO
CTS NO
SOC. NAME
PETH

ARCHITECT: SHRI KRISHAN

ARCHITECT'S SIGN

JOB NO.	DRG.NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY
		1:100		

INWARD NO: JDA/2019-20/[illegible]/27

DATE: 21-08-2019

SHEET NO. 2/4

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

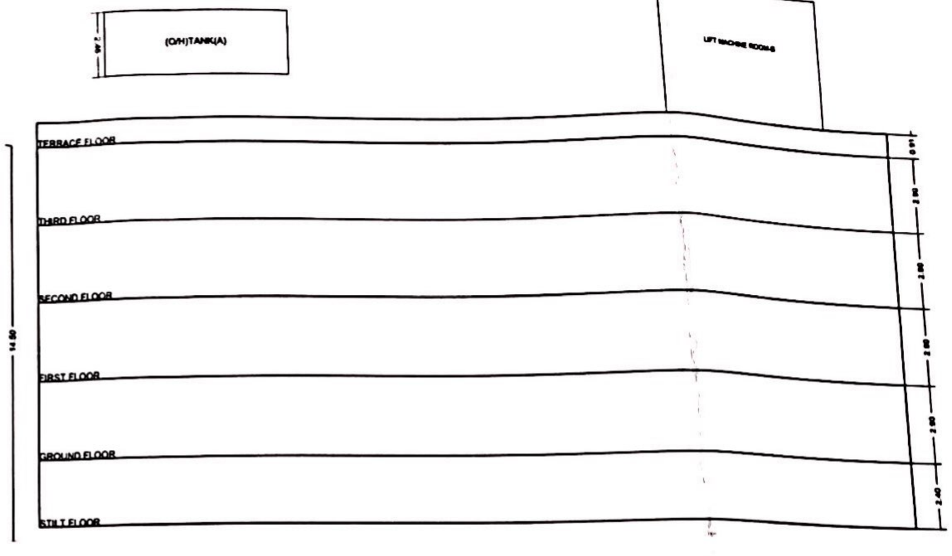

SECTION AT B-B

STAMP OF APPROVAL	
BUILDING: A (BLOCK)	

OWNER'S NAME: SURAJ SHARMA					OWNER'S SIGN
PROJECT: SURVEY NO:					
HISSA NO: PLOT NO: FINAL PLOT NO:		CTS NO: SOC. NAME: PETH:			
ARCHITECT: SHRI KRISHAN					ARCHITECT'S SIGN
	JOB NO.	DRG.NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED
			1:100		
	INWARD NO	JDA/2019-20/BPAS/27			
	DATE	[illegible]	SHEET NO.	[illegible]	

Scanned with CamScanner

A (BLOCK)

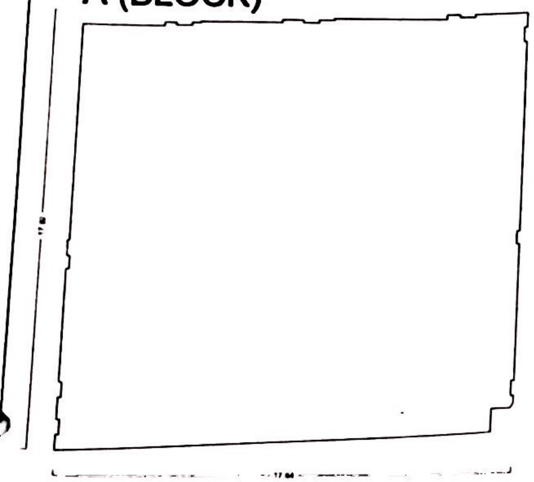

Poly	Area
Coverage	392.57

STAMP OF APPROVAL	

OWNER'S NAME: SURAJ SHARMA				OWNER'S SIGN.
PROJECT: SURVEY NO: HISSA NO: PLOT NO: FINAL PLOT NO:		CTS NO: SOC. NAME: PETH:		
ARCHITECT: SHRI KRISHAN				ARCHITECT'S SIGN.
JOB NO.	DRG.NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY
		1:100		
INWARD NO.	JDA/2019-20/BPAS/27			
DATE		SHEET NO.	4 / 4	

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन–७)
राजस्थान सरकार

क्रमांकः JDA/2019-20/BPAS/27 दिनांकः 22/07/2019

विषयः – भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर 80-81, स्कीम NEMI NAGAR EXT., तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

श्री/श्रीमती **SURAJ SHARMA** फर्म का नाम **S.R. BUILDERS AND DEVELOPERS** निवासी **607,6TH FLOOR VAIBHAV TOWER VAISHALI NAGAR,JAIPUR**

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 20/06/2019 के संदर्भ में भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर 80-81 ,स्कीम NEMI NAGAR EXT. ,ग्राम खातीपुरा,तहसील जयपुर, में स्थित भूखण्ड (क्षेत्रफल 603.12 वर्गमीटर) के RESIDENTIAL (FLATS) के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती है:–

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 21/07/2022 से 3 वर्ष तक प्रभावी है।

2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।

3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जेंवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन–७) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।

10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन–७) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।

11. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।

14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरू प से दर्शाने होगें।

18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

19. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क.वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।

21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरू प से दर्शाने होगें।

22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।

23. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

24. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाय`गा।

25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

उपायुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन–७)

Signature valid

Digitally Signed by ABU SUFIYAN CHAUHAN
Designation : DC
Date: 2019.07.22 08:06:13 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

Scanned with CamScanner

नोटः यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner